

19.12.17

कमील अपी - या स्वयं अपी - कोई उपोद्यत नहीं है।
अपी - का बार - बार आवेजें दिखाई गईं। अपी - की
और ख कोई उपोद्यत नहीं - काया। / अतः - कमील
अदम लजरी व अदम करवी में खारिज की जाती
हैं। पत्रावली फंसल शुमार बिबर बाद तकमील जाबता
दाखिल दफ्तर है।

संभागीय आयुक्त
राज्य सरकार